



24/08/17
HLL

0/1

प्रतिनिधि : श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

प्रथम अधीनस्थ अधिकारी
अपर सचिव एवं
(आर. के. सिंह)
24/8/17

दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।

4. प्रत्युत संदर्भ में अधीनकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अधीन इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, सी विंग, अगस्त कालि अवल, भिकाजी काजा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।

3. तदुसार अधीन निम्नलिखित की जाती है।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 31.07.2017 को प्रदान की गई सूचना विस्तृत नहीं है तथा इसमें प्रथम अधीनस्थ अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

1. अधीनकर्ता ने अपने दिनांक 20.07.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से हिन्दू धर्म का अर्थ एवं हिन्दू धर्म की स्थापना से संबंधित सूचनाएं मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अधीनस्थ दाखिल किया है।

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	20.07.2017
आर.टी.आई. के तत्पश्चात् प्रदान करने की तिथि	31.07.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. शर्मा
प्रथम अधीनस्थ दाखिल करने की तिथि	13.08.2017
अधीनस्थ में प्रथम अधीनस्थ का कार्यवाही सं. व तिथि	157267/17.08.2017

निर्णय की तारीख : 23.08.2017

उत्तर प्रदेश - 281306.
कल्याण/पोस्ट - सादवाट, जिला - रायस,
लिकट-जे. पी. प्लाजा, अगस्त वाइपास रोड,
भद्राबलिखा आशियाना, रतनपुरी,
पुत्र - श्री नारायण पिपल,
श्री रामबाबू पिपल,

अधीनकर्ता :

CIC/A/A/2017/254
CICOM/A/2017/00247
CICOM/R/2017/00930

संदर्भ संचिका सं.

प्रथम अधीनस्थ सं.

दिनांक: 23.08.2017

केन्द्रीय सूचना आयोग
दिल्ली तल, अगस्त कालि अवल
भिकाजी काजा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.
